बिहार शिक्षा परियोजना, गया।

शिक्षा भवन, गया–823001

बिहार सरकार

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग (EWS) एवं वंचित वर्ग (DG) के बच्चों के अच्छादन हेतु **Expression of Interest (EOI)**

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत गया जिले में अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग (EWS) एवं वंचित वर्ग (DG) के बच्चों के Non-Minority Recognized Private Schools में प्रवेश कक्ष में कुल नामांकन क्षमता के 25% नामांकन एवं नामांकन के प्रक्रिया का सततपारदर्शी अनुश्रवण हेतु एक Web Portal एवं Mobile App का निर्माण किया जाना है, जिसकी सहायता से सभी संबंधित विद्यालय/लाभुक/सरकारी कर्मी/पदाधिकारी यह जान सके कि इस अधिनियम का किस विद्यालय द्वारा किस सीमा तक अनुपालन किया जा रहा है। उक्त कार्यों को संपादित करने हेतु एक Application का निर्माण कराया जाना है। यह Application Public Domain में रहेगा एवं Accessible to All होगा। इच्छुक संस्थान/निविदादाता/IT Company अधिनियम के प्रावधानों के अध्ययन के उपरांत एक Application के निर्माण हेतु अपना EOI दिनांक 05.03.2019 को अपराह्न 05:00 बजे तक बिहार शिक्षा परियोजना, गया, 2 रा तल्ला, शिक्षा भवन, उत्तरी बिसार तलाब रोड, आई0एम0ए0 हॉल के निकट, गया–823001, के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा सकती है। EOI समर्पित करने वाले प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तावित दर मूल दर, कर एवं सभी करों सहित कुल दर अंकित करना अनिवार्य होगा प्रस्तावदाता के द्वारा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये जाने वाले Application निर्माण एवं परिचालन से संबंधित एक Flow Chart भी समर्पित करना होगा जो इस बात को स्पष्ट करेगा कि निविदादाता प्रतिष्ठान/संस्था द्वारा क्या–क्या कार्य किया जाएगा। प्राप्त सभी EOI दिनांक 06.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे जिला पदाधिकारी, गया के कार्यालय में तकनीकी/विशेषज्ञों के समिति के समक्ष निर्णय हेतु खोला जाएगा जिसमें प्रतिष्ठान/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। प्रस्तावदाता को अपने प्रतिष्ठान/कम्पनी/संस्था का संबंधित विभाग/कार्यालय/मंत्रालय से पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, पैन कार्ड, कम्पनी की स्थिति में बोर्ड/प्रबंधन मेम्बर की पूर्ण जानकारी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति EOI के साथ समर्पित करनी होगी। EOI के साथ अग्रधन के रूप में 10,000/ रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पदनाम से किसी भी बैंक द्वारा निर्गत एवं गया मे भुगतेय समर्पित करना होगा। जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, क्रय समिति को किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में गया न्यायालय का क्षेत्र प्रभावी होगा। किसी भी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में बिहार शिक्षा परियोजना, गया के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा सम्पादित होने वाले कार्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

15.2.19

(असगर आलम खाँ)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0 शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया।

(मु0 मुस्तफा हुसैन मंसूरी)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गया।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया

बिहार सरकार

बिहार सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

जिला खनन कोष (DMF) के अन्तर्गत गया जिले के सभी प्रखण्डों एवं नगर निगम क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों के प्रथम कक्षा में कुल नामांकन के 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार करने हेतु सक्षम एवं इच्छुक संस्थान/निविदादाता/ IT Company से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित की जाती है। जिसकी प्राक्कलित राशि 500000/– (पाँच लाख रूपये) प्रति वर्ष होगी। EOI की विस्तृत विवरणी शिक्षा विभाग गया के वेबसाईट www.educationgaya.in से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में बिहार शिक्षा परियोजना, गया कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। EOI पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि 05.03.2019 तथा विड खोलने की तिथि 06.03.2019 होगी।

4.2.19

(असग़र आलम खाँ)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया।

(मु० मुस्तफा हुसैन मंसूरी)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
गया।

E-mail- bepcgaya@gmail.com
Web: - www.educationgaya.in

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें